

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-स्था./2018 दिनांक 03.06.2018 के द्वारा प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में क्र.सं 13 एवं 14 को निरस्त किया जाता है। अतः प्रतिभा गुप्ता राबाउमावि सेक्टर-11, उदयपुर तथा नीलम भण्डारी राउमावि खैरोड़ा, उदयपुर यथावत रहेंगी। यदि कार्मिक द्वारा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण कर लिया गया है तो तत्काल प्रभाव से यथावत स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। शेष आदेश एवं शर्तें पूर्वतः यथावत रहेगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 06.06.2018

क्रमांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-स्था./2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर।
- 02 उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 03 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
- 04 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर को देकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्बन्धित कार्मिकों को सम्बन्धित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें।
- 05 सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर पाबन्द किया जाता है कि कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की कार्यवाही शाला दर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 06 सम्बन्धित ग्रुप/अनुभाग अधिकारी कार्यालय हाजा
- 07 सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक को पालनार्थ।
- 08 निजी/रक्षित पत्रावली।




सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/ मा/ संस्था/ सी-5/ स्थाना0-पदस्थापन/2018 दिनांक 05.06.18 में अंकित क्र.सं. 01 पर नाम सतवीर सिंह के स्थान पर सतवीर सिंह घोसलिया एवं पदस्थापन मनोहरपुर शहपुरा जयपुर के स्थान पर बा0 मनोहरपुर शहपुरा जयपुर कर संशोधित किया जाता है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/ मा/ संस्था/ सी-5/ स्थाना0-पदस्थापन/2018 दिनांक 7/6/18
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1संबंधित उपनिदेशक (मा)
- 2जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
- 3संबंधित कार्मिक
- 4निजी/रक्षित पत्रावली
- 5सिस्टम एनेलेटिक्स कम्प्यूटर अनुभाग


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमती पूनम डागा व्याख्याता रसायन विज्ञान के प्रोबेशन अवधि में होने के कारण इनका आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-8/स्थानान्तरण/2018 दिनांक 28.05.18 के द्वारा निरस्त किया गया। इसके कारण उत्पन्न स्थिति के मध्यनजर राउमावि किशनगढ अजमेर में पद रिक्त नहीं होने के कारण प्रभावित होने वाले निम्न रसायन विज्ञान व्याख्याताओं के जारी स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

क्र०सं०	नाम व्याख्याता	कहां से (राउमावि)	कहां को (राउमावि)
01	सरिता कुमारी कोमल	जूनियां-अजमेर	जालिया प्रथम-अजमेर
02	शिखा एन्थोनी	किशनगढ-अजमेर	जूनियां-अजमेर



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/स्थानान्तरण/2018

दिनांक ०६/०६/१८

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक अजमेर
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अजमेर
- 5 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दपर्ण को तत्काल अद्यतन करावें।
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	कहां से (राजमावि)	जिला	कहां को (राजमावि)	जिला
1	सुशीला चौहान	बा0फलोदी-जोधपुर से आदेशों की प्रतिका में	जोधपुर	लोहावट	जोधपुर
2	सरीता मीणा	धौलाई-ज0रामगढ	जयपुर	महेशवासकलां	जयपुर

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 11.06.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा प्रभारी संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उप निदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतिका में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/सी-7/स्थानान्तरण/हिन्दी/2018

दिनांक : 06/06/18

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक
- 5 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 रक्षित पत्रावली


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर